संख्या-34/2018/2461/22-2-2017-17(645)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 13 जनवरी, 2018***

विषय: केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सरजन सिंह पुत्र श्री राजाराम निवासी जनपद-फिरोजाबाद की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-33906/पर-2/सलाहकार समिति/(एम0 14.09.2017 दिनांक-18.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सरजन सिंह पुत्र श्री राजाराम, जो मौ0 कोटला,थाना-दक्षिण,जनपद-फिरोजाबाद का रहने वाला है। बंदी द्वारा दिनांक 20-02-1975 की शायं लगभग 04:30 बजे 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर धर्मपाल की साईकिल में टक्कर मार दी गयी जिससे वह गिर पड़ा तथा उसको मारते-पीटते हुए राजाराम के घर ले गये और वहाँ लाठी, डण्डा व लोहे की छड़ से हमला किया, जिससे उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-130/1975 में भा0द0वि0 की धारा- 302/149,147 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगरा के आदेश दिनांक 02.12.1978 द्वारा दोषमुक्त किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.10.1997 द्वारा मा0 सत्र न्यायलय के निर्णय को निरस्त करते हुए आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया तथा मा0 उच्चत्म न्यायालय के आदेश दिनांक-18.07.2002 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए मा0 उच्च न्यायाल द्वारा दी गयी सजा को बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.04.2017 तक 14 वर्ष 07 माह 06 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 05 माह 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है, 03 सहअभियुक्त कारागार से रिहा हो चुके हैं, 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है। पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बन्दी की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। सलाहकार समिति की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बंदी द्वारा दिनांक 20-02-1975 की शायं लगभग 04:30 बजे 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर धर्मपाल की साईकिल में टक्कर मार दी गयी जिससे वह गिर पड़ा तथा उसको मारते- पीटते हुए राजाराम के घर ले गये और वहाँ लाठी, डण्डा व लोहे की छड़ से हमला किया, जिससे उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता,जिला मजिस्ट्रेट,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा मा0 पीठासीन अधिकारी की राय के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सरजन सिंह पुत्र श्री राजाराम को रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- अत: उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी सरजन सिंह (बन्दी संख्या-8,019) पुत्र श्री राजाराम निवासी जनपद-फिरोजाबाद की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा 432 द0प्र0स0 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-34/2018/2461/(1)/22-2-2017 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in